कोरोना संकमण के तहत वन गूजरों में संकमण न फैलने हेतु मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त दिनॉक 28.04.2020

उपस्थिति :–

1. श्री आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन।
2. श्री अमित नेगी, सचिव, आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड शासन।
3. श्री मीनाक्षी सुन्दरम, सचिव, पशुपालन/दुग्ध विकास, उत्तराखण्ड शासन।
4. **श्री जयराज, प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।**
5. श्री राजीव भरतरी, मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड।
6. श्री अशोक कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
7. श्री जी.एस. पाण्डेय, अपर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
8. श्री पी.के. पात्रो, प्रमुख वन संरक्षक, शिवालिक, उत्तराखण्ड।
9. श्री अमित वर्मा, निदेशक, राजाजी पार्क, उत्तराखण्ड।
10. श्रीमती नेहा वर्मा, अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन, वन विभाग।

कोरोना संकमण के चलते प्रदेश में वन गूजरों की समस्या के सम्बन्ध में बैठक में विस्तृत विचार–विमर्श करते हुए निम्न निर्णय लिए गए:–

1. मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि वन गूजरों के लम्बी दूरी के विस्थापन (माइग्रेशन) को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया जाय। प्रभागीय वनाधिकारी अपने क्षेत्राधीन गूजरों की गणना कराकर यह सुनिश्चित करें कि किसी भी स्थिति में वन गूजर अपने डेरों को छोड़कर न जांय और न ही दूसरे डेरों से प्रभाग में आयें। इसके अतिरिक्त प्रदेश के सीमान्त क्षेत्रों, अन्य प्रदेशों के वन गूजरों का आवागमन (वन के रास्ते या अन्यथा) पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाय तथा स्थानीय आवागमन (लोकल मूवमेंट) के प्रवेश तथा निकास प्वाइंट को भी निश्चित कर दिया जाय।

   (कार्य0–समस्त प्रभागीय वनाधिकारी)

2. कोरोना संकमण की रोक–थाम हेतु **Social distancing** एवं **Social Gathering** के संबंध में राज्य सरकार द्वारा दिए गए समस्त दिशा निर्देशों/नियमों का पालन सुनिश्चित कराया जाय और किसी भी रूप में इनके उल्लंघन पर पुलिस कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

   (कार्य0–समस्त प्रभागीय वनाधिकारी)

3. प्रभागीय वनाधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत चिकित्सा विभाग से समन्वय करते हुए सभी वन गूजरों का कोरोना संकमण हेतु समय–समय पर थर्मल स्कीनिंग कराने की व्यवस्था करेंगे। साथ ही, उनमें कोरोना संकमण की रोक–थाम हेतु जागरूकता फैलायेंगे।

   (कार्य0–समस्त प्रभागीय वनाधिकारी)

4. गूजर मवेसियों को आवश्यकतानुसार चारा उपलब्ध कराने के लिए पशुपालन विभाग द्वारा कार्यवाही की जायेगी, जिसकी सूचना वन विभाग द्वारा पशुपालन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी। डेरी विभाग यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सभी गूजर डेरों से उत्पादन होने वाला दूध आंचल डेरी में विकय किया जाय, ताकि गुजरों की जीविकोपार्जन बाधित न हो।

   (कार्य0–पशुपालन विभाग/डेरी विभाग/समस्त प्रभागीय वनाधिकारी)

5. गूजरों के ऐसे परिवारों को चिन्हित कर लिया जाय, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और वर्तमान परिस्थितियों में जिनके समक्ष रोजी–रोटी का संकट हो, इनकी सूचना संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा जिलाधिकारी को प्रेषित की जायेगी, जिनके माध्यम से इन्हें राशन आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।

(कार्य0–समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/संबंधित जिलाधिकारी गण)

अन्त में मुख्य सचिव महोदय द्वारा सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद देते हुए बैठक का समापन किया गया।

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड शासन,
वन अनुभाग–2

संख्या : 635/X-2-2019-07(06)/2018
देहरादून : दिनॉक : अप्रैल 28, 2020

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, उत्तराखण्ड शासन, आपदा प्रबन्धन विभाग।
3. सचिव, उत्तराखण्ड शासन, पशुपालन/डेरी विकास।
4. सचिव, उत्तराखण्ड शासन, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग।
5. प्रमुख वन संरक्षक/हॉफ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
7. प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कार्बेट टाइगर रिजर्व/राजाजी पार्क, उत्तराखण्ड।
9. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. उक्तानुसार उपस्थित अधिकारीगण।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(नेहा वर्मा)
अपर सचिव।